15

संख्या 15/15(5)/85-342/85

आर०एन० सक्सेना,
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा (5) अनुभाग
विधान भवन

लखनऊ : दिनांक : 15 मार्च, 1985

प्रिय महोदय,

मुझे आपका ध्यान शासनादेश सं० 7770/15-5(1)/84-342/84 दिनांक 7 दिसम्बर, 1984 की ओर आकर्षित करते हुए यह कहने की अपेक्षा की गई है कि शासन को यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि कतिपय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा अभी तक अप्रशिक्षित उर्दू अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही नहीं की गई है। अतः मुझे आपसे यह अनुरोध करना है कि परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों के लिये सृजित पदों को समायोजन/नियुक्तियों द्वारा भरे जाने के फलस्वरूप परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में उर्दू के सहायक अध्यापकों के जो पद रिक्त हो जाय उनमें से जो पद उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण न भरे जा सके, उन पदों को बी०टी०सी० कोर्स पूर्ण किये हुए व्यक्तियों से जो इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा उर्दू विषय से इण्टर परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्तियों से भरे जाने के संबंध में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

2- मुझे आपसे यह भी कहना है कि इस संबंध में जो निर्देश जारी किए जायें उसकी एक प्रति शासन को भी कृपया उपलब्ध करायें।

भवदीय,

ह०/-

(आर०एन०सक्सेना)

(1) श्री पी०पी०शर्मा,
शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(2) श्री आई०एस० गौड़,
उर्दू सलाहकार,
शिक्षा निदेशालय, शिविर कार्यालय,
लखनऊ।

प्रति हस्ताक्षरित

19/3/85

(ईश्वर शरण गौड़)
उर्दू सलाहकार,